सं-ए.12018/02/2022-Estt.III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

स्थापना-III अनुभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली110-011

दिनांक: ....

अधिसूचना

यह मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के मौजूदा **01 (एक)** पद संबंधी भर्ती नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

.2 भर्ती नियमो को अंतिम रूप देने हेतु निर्दिष्ट नोडल एजेंसियों के साथ भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लेने के पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचना की तिथि से **तीस(30)** दिनों की अवधि के भीतर इस मामले पर सभी हितधारकों से टिप्पणिया, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती है। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव/टिप्पणियों को इस मंत्रालय द्वारा आवश्यकता/नियम अनुसार उचित विचार किया जाएगे।

3. टिप्पणियाँ/सुझाव अधोहस्ताक्षरी को कक्ष्य सं.330-सी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली – 110011 अथवा jaiswal.r72@nic.in में भेजी जा सकती हैं।

23/9/2022

(राजीव जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेली-011 :23061323

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, भर्ती नियमावली, 2016 में, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय भर्ती नियम, 2022 होगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण** और वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

   क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या

   ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति–** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले सी सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक औ के लिए अपेक्षित शैक्षि और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	*01 (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67700-208700/-रू.)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 (44900-142400/-) में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी या समकक्ष तथा ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार किए जाने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होगें:	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया

		सहित) द्वारा:	पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री और किसी विहित संस्थान या संगठन से पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी-I:** जब प्रोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के मामले पर विचार किया जाएगा जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के मामले पर भी विचार किया जाएगा, बशर्तें उनकी अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने उन कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, के साथ-साथ उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी-2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ 1 जनवरी, 2006 या छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे के लागू होने की तारीख से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूपी वेतन ग्रेड या संवर्धित वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। <u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)</u> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी: I. जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों या II. मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (56100-177500) या समकक्ष में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा रखते हों या	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. संयुक्त सचिव (संबंधित) स्वास्थ्य और मंत्रालय 3. उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेव (संबंधित) 4. निदेशक (प्रशा.) (संबंधित) स्वास्थ सेवा महानिदेशालय	जाना आवश्यक है।

			III. मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 (47600-151100) या समकक्ष में नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष की सेवा रखते हों, या IV. मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 (44900-142400) या समकक्ष में नियमित नियुक्ति के बाद सात वर्ष की सेवा रखते हों, और (ख). निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो- <u>अनिवार्य:</u> i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री ii. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या शैक्षिक संस्थान के किसी पुस्तकालय में पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव <u>वांछनीय</u> i. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक या स्वायत्त संस्थानों के पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्य के कम्प्यूटरीकरण का एक वर्ष का अनुभव। ii. स्वास्थ्य सेवा साहित्य के इंडेक्सिंग कार्य में एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। iii. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। **टिप्पणी-1.** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें। इसी तरह प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें। टिप्पणी-2. केन्द्रीय सरकार के एक या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस		

			नियुक्ति के तत्काल पूर्वाधारित अन्य संवर्ग बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि की संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 या छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशाधित वेतन ढांचे के लागू होने की तारीख से पूर्व की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर तद्नुरूपी वेतन ग्रेड या लागू वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा सिवाय उसके जहां किसी एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों को एक साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ आमेलित किया गया हो और जहां यह लाभ केवल उस पद के लिए मिलेगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो।		